दिनांक– 18.09.2013 को विशेष सचिव की अध्यक्षता में सम्पन्न मुख्य अभियंता, हजारीबाग प्रक्षेत्राधीन योजनाओं की समीक्षात्मक बैठक की कार्यवाही।

बैठक में उपस्थित पदाधिकरियों की उपस्थिति परिशिष्ट–I में संलग्न है।

1. **जलपथ प्रमण्डल, बरही** (जिला–कोडरमा, प्रखण्ड –मरकच्चो)

I. पंचखेरो जलाशय योजना (जिला–गिरिडीह, प्रखण्ड –राजधनवार)

- प्रशासनिक स्वीकृति की राशि – रू0 7568.87 लाख (दि0– 07.08.2007)
- मार्च 2013 तक व्यय – रू0 701.766 लाख
- वर्ष 2013–14 में उपलब्ध आवंटन – रू0 816.282 लाख
- अगस्त से 2013 तक व्यय – रू0 95.21 लाख
- स्पिलवे निर्मित, रिभर क्लोजर सहित मिट्टी बाँध निर्मित।
- योजना का रूपांकित सिंचाई क्षमता : खरीफ 2548 हे०, रब्बी 537 हे०

विगत बैठक में निदेश के विन्दु :–	अनुपालन की स्थिति –	निदेश :–
(i) River closure का मिट्टी कार्य पूर्ण। Rock-Toe, Rip-Rap, Toe drain एवं Turfing कार्य 15 जुलाई 2013 तक पूर्ण कराया जाय।	(i) **कार्य पूर्ण नही हुआ।** सितम्बर 2013 तक पूर्ण होने की संभावना है।	(i) सितम्बर 2013 तक River closure का कार्य हर प्रकार से पूर्ण कराया जाय।
(ii) Spill Channel का कार्य 15.07.2013 तक हर हालत में पूर्ण कराया जाय।	(ii) **कार्य पूर्ण नही हुआ।** Spill Channel का 40% कार्य हुआ है। दिसम्बर 2013 तक कार्य पूर्ण करा लिया जायेगा।	(ii) Spill Channel का कार्य दिसम्बर 2013 तक पूरा कराना सुनिश्चित किया जाय अन्यथा संबंधित अधीक्षण अभियंता एवं कार्यपालक अभियंता इसके लिये उत्तरदायी होंगे।
(iii) गैर मजरूआ भूमि के रैयतीकरण मामले का शीघ्र निष्पादन करने हेतु मुख्य अभियंता, हजारीबाग एवं विशेष भू–अर्जन पदाधिकारी उपायुक्त, गिरिडीह एवं उपायुक्त, कोडरमा से सम्पर्क करेंगे। GM Land के रैयतीकरण का मामला अगर एक सप्ताह में नहीं निपटता है तो पुनः उपायुक्त गिरिडीह/कोडरमा को प्रधान सचिव के स्तर से DO letter के माध्यम से निदेशित किया जाय।	(iii) G.M.Land **का मामला नही सुलझा है।** उपायुक्त, कोडरमा द्वारा 377.265 एकड में से 18.68 एकड का रैयतीकरण कर दिया गया है। शेष गैरमजरूआ जमीन के रैयतीकरण के मामले पर कार्रवाई चल रही है। उपायुक्त गिरिडीह द्वारा 242.37 एकड गैरमजरूआ जमीन में से 69.44 एकड का रैयतीकरण किया गया है एवं शेष 172.93 एकड G.M.Land के रैयतीकरण का प्रस्ताव अपर समाहर्त्ता, गिरिडीह के पत्रांक 934 दिनांक 07.03.2013 द्वारा खारीज कर दिये जाने की सूचना दिनांक 12.09.2013 को प्राप्त हुई है।	(iii) मुख्य अभियंता, हजारीबाग प्रतिवेदन तैयार कराकर उपायुक्त को भेजें तथा रैयतीकरण के सभी मामले का निष्पादन सुनिश्चित करें। योजना में शामिल सभी गैरमजरूआ भूमि का विभाग के नाम स्थानान्तरण एक महीना के अन्दर करने हेतु विशेष भू–अर्जन पदाधिकारी, हजारीबाग कार्रवाइ करेंगे।

(iv) दोनों मुख्य नहर का कार्य हर हाल में 31 दिसम्बर तक पूर्ण कराया जाय। बाँयीं मुख्य नहर के एक्वाडक्ट का कार्य 15 जुलाई 2013 तक पूरा कराया जाय।	(iv) **दाँयी मुख्य नहर** (RMC) की लम्बाई : 3.25 कि0मी0 है, इसका कार्य प्रारम्भ से अंत तक पूरा हो गया है। **बाँयीं मुख्य नहर** (LMC) की लम्बाई : 7.35 कि0मी0 है, इसके 11 चेन पर निर्माणाधीन Aqueduct **का कार्य 15.07.2013 तक पूर्ण करना था, जो नही हुआ।** Aqueduct के पांच स्पैन में से दो की ढलाई हो चुकी है, एक्वाडक्ट का कार्य नवम्बर–दिसम्बर, 2013 तक पूरा होने की संभावना है। यह कार्य पूर्ण होने के पश्चात LMC में 4.17 कि०मी० तक पानी चला जायेगा।	(iv) दिसम्बर 2013 तक दोनों मुख्य नहरों का सभी कार्य पूर्ण कराया जाय एवं विभाग को प्रतिवेदित किया जाय।
(v) बाँयी एवं दाँयी मुख्य नहर से निःसृत क्रमशः 5 एवं 2 वितरणियों की कुल लम्बाई 18 कि0मी0 है। वितरण प्रणाली के कार्यों की निविदा 31 जुलाई 2013 तक आमंत्रित किया जाय।	(v) वितरणियों की निविदा अक्टुबर 2013 तक आमंत्रित की जायेगी।	(v) वितरणियों की निविदा आमंत्रित कर विभाग को सूचित किया जाय और कार्य मार्च 2013 तक पूर्ण कराया जाय।
(vi) वर्त्तमान खरीफ में योजना से 150 हे० में सिंचाई सुविधा उपलब्ध करायी जाय।	(vi) वर्त्तमान खरीफ में दांयी मुख्य नहर से किसानों को 20 हेक्टेयर में सिंचाइ उपलब्ध करायी जा रही है।	(vi) निर्धारित लक्ष्य की प्राप्ति सुनिश्चित की जाय।
(vii) योजना के सभी वितरणी/उप वितरणी/माईनर के भू–अर्जन का कार्य मासिक Work Plan के अनुसार पूरा कराया जाय तथा सभी भू–धारियों को मुआवजा का भुगतान ECS के माध्यम से करना सुनिश्चित किया जाय।	(vii) मुख्य अभियंता द्वारा सूचित किया गया कि भू–मुआवजा का भुगतान किया जा रहा है। अक्टुबर तक भुगतान हो जायेगा।	(vii) भू–मुआवजा का पूरा भुगतान अक्टूबर 2013 तक सुनिश्चित किया जाय।
(viii) मुख्य अभियंता अपने प्रक्षेत्र में प्रत्येक प्रमण्डल के एक अवर प्रमण्डल को CAD के कार्यों हेतु Notify करेंगे और उस अवर प्रमण्डल का कार्य क्षेत्र केवल CAD कार्य के लिए निर्धारित किया जाय। CAD के कार्यों के संबंध में पूरी जानकारी भारत सरकार के जल संसाधन मंत्रालय की Website से प्राप्त कर ली जाय।	(viii) मुख्य अभियंता, ज०सं०वि०, हजारीबाग के पत्रांक 1241 दिनांक 05.07.2013 द्वारा CAD अवर प्रमण्डलों को Notify कर दिया गया है।	(viii) जिन अवर प्रमण्डलों को CAD अवर प्रमण्डल संसूचित किया गया है, उनका वार्षिक कार्यक्रम विभाग को उपलब्ध कराया जाय।

कार्रवाई : मुख्य अभियंता, हजारीबाग/विशेष भू–अर्जन पदाधिकारी, हजारीबाग

(II) केशो जलाशय योजना (टर्न–की) (जिला–कोडरमा, प्रखण्ड – मरकच्चो)

- संवेदक – विजेता प्रोजेक्ट एण्ड इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड, मोराबादी, राँची।
- प्रशासनिक स्वीकृति की राशि – रू0 6770.90 लाख
- मार्च 2013 तक व्यय – रू0 6661.92 लाख
- वर्ष 2013–14 में उपलब्ध आंवटन – शून्य
- योजना का सम्पूर्ण कार्य टर्न–की पर आवंटित है।

योजना का Status	निदेश :–
➢ बाँध निर्माण में दो नदियों का River Closure करना है। डैम, आउटलेट एवं स्पिलवे अर्द्धनिर्मित है। ➢ बाँयीं मुख्य नहर की लम्बाई – 11.25 कि0मी0 है तथा दाँयीं मुख्य नहर की लम्बाई 14.83 कि0मी0 है। इनका भू–अर्जन हो गया है। ➢ योजना से प्रभावित भू–धारियों द्वारा, समीप के पंचखेरो जलाशय योजना के समतुल्य भू–मुआवजा भुगतान की माँग की जा रही है तथा कार्य स्थगित करा दिया गया है। भू–अर्जन न्यायालय के आदेश के विरूद्ध भू–धारियों द्वारा माननीय उच्च न्यायालय में मामला दायर किया गया है जो विचारधीन है। ➢ वितरण प्रणाली का I.R स्वीकृत नहीं हुआ है फलस्वरूप भू–अर्जन की कार्रवाई नहीं हुई है। ➢ पुनरीक्षित प्रशासनिक स्वीकृति प्रक्रियाधीन। वित्त विभाग द्वारा दिये गये परामर्श के क्रम में मुख्य अभियंता, हजारीबाग से मांगा गया प्रतिवेदन अभी तक अप्राप्त है। ➢ अधीक्षण अभियंता, जल पथ अंचल, हजारीबाग द्वारा बताया गया कि River Closure के दो विन्दु है, जिसका कार्य नहीं हुआ है। डैम में अभी काफी काम बाकी है। कार्य की कुल प्रगति लगभग 50–60 प्रतिशत ही है।	केशो जलाशय योजना में अब तक कराये गये कार्यों का स्थूल आकलन कर विभाग द्वारा मांगा गया प्रतिवेदन अक्टुबर के प्रथम सप्ताह तक प्रतिवेदित किया जाय। **(कार्रवाई :– अधीक्षण अभियंता, जल पथ अंचल, हजारीबाग)**

(III) गरही जलाशय योजना (जिला–चतरा, प्रखण्ड– टण्डवा)

- प्रशासनिक स्वीकृति की राशि – रू0 12163.625 लाख
- मार्च 2013 तक व्यय – रू0 6736.27 लाख (कार्य मद)
- वर्ष 2013–14 में उपलब्ध आंवटन – शून्य

- एन०टी०पी०सी० से पत्र प्राप्त हुआ हैं जिसमें अवशेष कार्य की राशि उनके द्वारा वहन करने की सहमति व्यक्त की गयी है।
- दिनांक 24.08.2013 को एन०टी०पी०सी० के साथ विभाग द्वारा प्रधान सचिव की अध्यक्षता में बैठक हुई।
- विभाग द्वारा योजना का वनभूमि अपयोजन NTPC को स्वयं कराने का अनुरोध किया गया है तथा योजना पर अब तक हुए व्यय की प्रतिपूर्त्ति NTPC द्वारा राज्य सरकार को करने का अनुरोध किया गया है।
- सी०एम०डी०, एन०टी०पी०सी० द्वारा पानी की आवश्यकता 20 क्यूसेक सूचित किया गया है, जिससे डैम की ऊँचाई 10 मीटर कम हो जायेगी।
- NTPC के साथ बैठक कर इस विषय पर अंतिम निर्णय लिया जाना है।

(IV) तिलैया नहर सिंचाई योजना

योजना के कार्यान्वयन हेतु डी०पी०आर० तैयार करने का कार्य आवंटित कर दिया गया है। एकरारनामा दिनांक 25.04. 2013 को कर लिया गया है। कार्य समाप्ति की अवधि तीन माह है। संवेदक द्वारा Survey कार्य कर लिया गया है, परन्तु DPR अभी Submit नहीं किया गया है। संवेदक द्वारा समर्पित Inception Report के आलोक में विभाग में एक Presentation कराया जाय। साथ ही DPR हेतु नियुक्त सभी परामर्शी का Mid term Review भी प्रस्तुत किया जाय।	**निदेश** – DPR से संतुष्ट होकर मुख्य अभियंता, हजारीबाग Presentation की तिथि विभाग को सूचित करेंगे। अभियंता प्रमुख–I Presentation की तिथि निर्धारित करेगें **(कार्रवाई :– मुख्य अभियंता, ज०सं०वि०, हजारीबाग)**

(V) पूर्ण सिंचाई योजनायें :–

(i) बरही जलाशय योजना –

(ii) बक्सा जलाशय योजना –

(iii) अंजनवा जलाशय योजना –

(i) बक्सा जलाशय योजना के संबंध में एक Presentation दिया जाय, जिसमें योजना स्थल का Photograph/Video graph भी हो। (ii) बरही जलाशय योजना एवं अंजनवा जलाशय योजना के पुनर्स्थापन का प्राक्कलन 30 जून 2013 तक समर्पित किया जाय एवं विभाग में Presentation दिया जाय।	**निदेश** – (i) बक्सा जलाशय योजना के पुनर्स्थापन कार्य का DPR Empanelled Consultant द्वारा तैयार कराया जायेगा। (ii) अंजनवा/बरही जलाशय योजना के प्राक्कलन की प्रशासनिक स्वीकृति के क्रम में अनुपालन प्रतिवेदन शीघ्र विभाग को भेजा जाय। **(कार्रवाई :– मुख्य अभियंता, ज०सं०वि०, हजारीबाग)**

नोट :– कुल मिलाकर जल पथ प्रमण्डल, बरही का Performance Poor है।

2. जलपथ प्रमण्डल, हजारीबाग

(I) भैरवा जलाशय योजना (टर्न–की) (जिला–रामगढ़, प्रखण्ड–गोला)

- संवेदक – विजेता प्रोजेक्ट एण्ड इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड, मोराबादी, राँची।
- प्रशासनिक स्वीकृति की राशि – रू0 6727.20 लाख (दि0– 07.08.2007)
- मार्च 2013 तक व्यय – रू0 8692.31 लाख
- वर्ष 2013–14 में उपलब्ध आवंटन – रू0 1.492 लाख (कोर्ट केश)
- वर्ष 2013–14 में व्यय – रू0 1.492 लाख

कार्य की स्थिति –	निदेश – भैरवा जलाशय योजना के पुनरीक्षित प्राक्कलन की प्रशासनिक स्वीकृति हेतु माननीय विभागीय मंत्री का अनुमोदन प्राप्त हो गया है। मंत्रिपरिषद के प्रस्तुत किये जाने वाले संलेख एवं प्रस्ताव पर सहमति हेतु शीघ्र संचिका वित्त विभाग को भेजी जाय।
➢ योजना की सम्पूर्ण कार्य टर्न–की पर आवंटित है। ➢ River Closure छोड़कर डैम का कार्य पूर्ण है। डैम आउटलेट एवं स्पिलवे निर्मित है। ➢ बाँयीं मुख्य नहर की लम्बाई 15.64 कि0मी0 है तथा दाँयीं मुख्य नहर की लम्बाई 16.89 कि0मी0 है। इनका भू–अर्जन हो गया है। मुख्य नहरों का लगभग 60% का कार्य हुआ है। ➢ पुनरीक्षित प्रशासनिक स्वीकृति प्रक्रियाधीन। ➢ वितरण प्रणाली का I.R स्वीकृत नहीं हुआ है।	**(कार्रवाई : अभियंता प्रमुख–I)**

(II) सिवाने जलाशय योजना का डी0पी0आर0 तैयार करने का कार्य

(जिला–हजारीबाग, प्रखण्ड – कटकमसांडी)

- ➢ संवेदक – Aarvee Associates, Architects Engineers & Pvt Ltd, Hyderabad
- ➢ एकरारित राशि – रू0 89.00 लाख
- ➢ कार्य पूर्ण करने की एकरारित तिथि – 29.12.2012
- ➢ मार्च 2013 तक व्यय – 25.00 लाख
- ➢ वर्ष 2013–14 में उपलब्ध आंवटन रू0 –0.00 लाख
- ➢ अगस्त 2013 तक व्यय – 0.00

कार्य की स्थिति –	**निदेश** –
(i) जमीनी सर्वेक्षण कार्य हो गया है। ग्रामिणों द्वारा कार्य अवरूद्ध किया जा रहा है। Dam Axis निर्धारित कर लिया गया है, परन्तु Foundation की जाँच हेतु Drilling का कार्य नहीं करने दिया जा रहा है। यह कार्य क्षेत्रीय विधायक की अनुशंसा पर प्रारंभ कराया गया है। ग्रामिणों द्वारा किये जा रहे विरोध से उन्हें अवगत कराया जाय और कार्य बिना बाधा के पूर्ण कराने हेतु उनसे सहयोग प्राप्त किया जाय।	(i) मुख्य अभियंता, हजारीबाग Review करें कि सर्वे का कौन–कौन कार्य हो गया है। अगर जमीन के उपर का सर्वे कार्य पूरा हो गया है तो Hydrology का प्रतिवेदन Final किया जाय। अब तक जो भी कार्य हो चुका है उसका Mid Term Review हेतु एक Presentation प्रस्तुत किया जाय। **(कार्रवाई :– मुख्य अभियंता, ज0सं0वि0, हजारीबाग)**

(III) दिपुगढ़ा कॉलोनी, हजारीबाग में डीप बोरिंग एवं भवनों के मरम्मति का कार्य –

विगत बैठक में निदेश – अब तक प्राक्कलन समर्पित नहीं करने के कारण कार्यपालक अभियंता से स्पष्टीकरण पूछा जाय।	मुख्य अभियंता द्वारा बताया गया कि कार्यपालक अभियंता द्वारा प्राक्कलन समर्पित कर दिया गया और उसकी तकनीकी स्वीकृति प्रदान कर दी गयी है।	**निदेश** – कार्य को इस वित्तीय वर्ष के अन्दर पूरा कराना सुनिश्चित किया जाय। **(कार्रवाई :– मुख्य अभियंता, ज0सं0वि0, हजारीबाग)**

(IV) पूर्ण सिंचाई योजनाएँ

(i) **बौघा जलाशय योजना** अधीक्षण अभियंता, मोनेटरिंग अंचल–2 के द्वारा स्थल निरीक्षोपरान्त दिये गये परामर्श के आलोक में प्रतिवेदन वांछित है। (ii) **गोलाई वीयर** के System में सुधरी डैम, वीयर के U/S में बना हुआ है, जिससे नाला होकर वीयर को पानी Feed किया जाता है। आवश्यक मरम्मति कार्य का प्राक्कलन तैयार किया जा रहा है। (iii) **लोटिया जलाशय योजना** के मुख्य नहर में 11 चेन के बाद पानी नहीं जाता है। यहाँ पर Aqueduct क्षतिग्रस्त है। पूरी योजना के पुनर्स्थापन कार्य का प्राक्कलन तैयार किया जा रहा है। (iv) **लपसिया सिंचाई योजना** से सिंचाई उपलब्धि काफी कम है। नहर में 11 चेन के बाद Aqueduct क्षतिग्रस्त है। इसके पुनर्स्थापन हेतु प्राक्कलन तैयार कराया जा रहा है। (v) **घाघरा जलाशय योजना** – अधीक्षण अभियंता, जलपथ अंचल, हजारीबाग द्वारा बताया गया कि कार्य नहीं हो रहा है। (vi) **यॉंत्रिक कार्य** – गोलाई एवं जुगरा वीयर तथा जमुनिया जलाशय के यांत्रिक कार्यों के संबंध में मुख्य अभियंता, हजारीबाग द्वारा बताया गया कि अधीक्षण अभियंता, हजारीबाग स्थल निरीक्षण कर प्रतिवेदित करेंगे।	**निदेश :–** (i) जिन योजनाओं के सर्वेक्षण कार्य हेतु राशि की आवश्यकता है, उसके प्राक्कलन की राशि के साथ आवंटन की अधियाचना अविलम्ब भेजी जाय। (ii) योजनाओं के पुनर्स्थापन का प्राक्कलन विभाग को शीघ्र समर्पित किया जाय एवं योजनाओं से पूरी क्षमता में सिंचाई उपलब्ध कराने हेतु अविलम्ब आवश्यक कार्रवाई की जाय। (iii) सर्वे कार्य Total Station से कराया जाय। (iv) सर्वे कार्य हेतु राशि शीघ्र release किया जाय। (v) घाघरा जलाशय योजना का अभियंता प्रमुख–I के द्वारा स्थल निरीक्षण किया जाय। अगर कार्य नहीं हो रहा है, तो आकलन कर, व्यय नहीं होने वाली राशि प्रत्यार्पित की जाय। (vi) अधीक्षण अभियंता, जलपथ अंचल, हजारीबाग इन योजनाओं के गेटो की स्थिति से अवगत हो लें और स्थल निरीक्षणोपरान्त प्रतिवेदित करें। **(कार्रवाई :– मुख्य अभियंता, ज0सं0वि0, हजारीबाग / मुख्य अभियंता (मो०) / अभियंता प्रमुख–I)**

(V) मुख्य अभियंता, हजारीबाग कार्यालय एवं आवासीय भवन का निर्माण कार्य।

➢ मुख्य अभियंता द्वारा बताया गया कि कार्य प्रारम्भ हो गया है और Schedule के अनुसार चल रहा है।	**निदेश** – कार्य का ससमय कार्यान्वयन सुनिश्चित की जाय। अधियाचना के आलोक में आवंटन उपलब्ध कराया जाय। **(कार्रवाई :–मुख्य अभियंता, हजारीबाग / मुख्य अभियंता, मो०)**

कोनार सिंचाई परियोजना (जिला–हजारीबाग, गिरिडीह)

- ➢ प्रशासनिक स्वीकृति की राशि – रू0 34838.60 लाख
- ➢ मार्च 2013 तक व्यय – रू0 24675.22 लाख
- ➢ वर्ष 2013–14 में उपलब्ध आवंटन – रू0 1246.01 लाख
- ➢ अगस्त 2013 तक व्यय – रू0 793.39 लाख

➢ योजना की सिंचाई क्षमता:—खरीफ 54430.50 हे0, रब्बी—8520 हे0

शीर्ष कार्य — कोनार जलाशय डी0वी0सी0 द्वारा निर्मित है। **मुख्य नहर** की लम्बाई — 9.28 कि0मी0 (टनेल सहित)। टनेल के 1 कि0मी0 का कार्य शेष। अवशेष टनेल कार्य, कट एण्ड कवर, इनटेक स्ट्रक्चर, एप्रोच चैनल इत्यादि के कार्य की निविदा निष्पदान के उपरान्त Tunnel के 3.06 कि०मी० भाग में Desilting तथा Cut & Cover भाग में dewatering का कार्य चल रहा है। ➢ **बाँयीं शाखा नहर** इसकी लम्बाई — 6.025 कि0मी0 है जिसका कार्य पूर्ण है। इस शाखा नहर से वितरणी नहीं निःसृत है। ➢ **दाँयीं शाखा नहर** की लम्बाई — 35.525 कि0मी0 है, जिसमें लगभग 60% कार्य हुआ है। 19.25 कि0मी0 तक कार्य लगभग पूर्ण है 19.25 से 21 कि0मी0 के बीच कार्य प्रगति पर है। ➢ **बगोदर शाखा नहर** की लम्बाई 41.16 कि0मी0 है जिसके 37.96 कि0मी0 तक कार्य लगभग पूर्ण है। इसमें अवशेष मिट्टी का कार्य एवं संरचनाओं का कार्य प्रगति में है। इस शाखा नहर के कि0मी0 20.81 पर रेलवे पुल का निर्माण किया जाना है। जिसके लिये रेलवे अधिकारियों से सम्पर्क किया गया है। RITES द्वारा GAD तैयार करने हेतु रू० 32.00 लाख का प्रस्ताव दिया गया है।	**निदेश :—** (i) 20.81 कि०मी० पर के रेलवे पुल का निर्माण कार्य प्रारम्भ होने के पश्चात् ही इसके आगे के कार्यों के लिए नयी निविदायें में आमंत्रित की जाय। (ii) रेलवे से इस समस्या का सामाधान अभी तक नहीं हो सका है, यह खेद की बात है। अधीक्षण अभियंता, तेनुघाट रेलवे के अधिकारियों से स्वयं सम्पर्क कर बैठक में हुए विमर्श के आलोक में संरचना का DPR और प्राक्कलन प्राप्त करें। **(कार्रवाई :— मुख्य अभियंता, ज0सं0वि0, हजारीबाग / मु०अ०(मो०)**

वितरण प्रणाली : योजना में कुल **26** वितरणी एवं **12** उप वितरणी (Minors) है।

➢ **बगरो वितरणी** की लम्बाई 18.30 कि0मी0 है जिसमें 13.50 कि0मी0 तक कार्य पूर्ण है। इसके आगे मिट्टी कार्य प्रगति में है। ➢ **बाराघाट वितरणी** (3.50 कि0मी0) में 60% कार्य हुआ। शेष कार्य भू—अर्जन पूर्ण नहीं होने के कारण बाधित है। ➢ बगोदर शाखा नहर से निःसृत **बनपूरा वितरणी** (लम्बाई 5.70 कि0मी0) का कार्य लगभग पूर्ण है शेष बचे संरचनाओं का निर्माण कार्य प्रगति में है। चार वितरणियों का सर्वेक्षण कार्य कराया जा रहा है। **(I) कोनार नहर प्रमण्डल, डुमरी (कोनार सिंचाई परियोजना)** वर्ष 2013—14 में उपलब्ध आवंटन— रू० 393.58 लाख अगस्त 2013 तक व्यय— रू० 207.26 लाख	**निदेश :—** (i) परियोजना में सर्वप्रथम मुख्य नहर का एवं दोनों शाखा नहरों का कार्य पूर्ण कराने की प्राथमिकता दी जाय। वितरणियों एवं उपवितरणियों में एकरारित कार्य के अतिरिक्त नया कार्य नहीं करायी जाय। (ii) परियोजना के वैसे वितरणी / उपवितरणी जिसका सर्वेक्षण अभी तक नहीं हुआ है, उन सभी का सर्वेक्षण कराकर I.R. तैयार कराया जाय और उसकी स्वीकृति प्रदान की जाय। तदनुसार भू—अर्जन हेतु आगे की कार्रवाई की जाय। कुल कितनी वितरणी / उपवितरणी है, उसमें कितना का I.R/Survey हो गया है कितना शेष है, उसका Time line. तय कर प्रतिवेदित किया जाय। सर्वे Total station से कराया जाय अगर उपलब्ध नहीं है तो इसका क्रय किया जाय। (iii) Total station से सर्वे कराने पर कितने लेबर से

(II) कोनार नहर प्रमण्डल, बगोदर (कोनार सिंचाई परियोजना) वर्ष 2013–14 में उपलब्ध आवंटन– रू० 84.24 लाख अगस्त 2013 तक व्यय– रू० 23.55 लाख **5. कोनार नहर प्रमण्डल, बनासो (कोनार सिंचाई परियोजना)** वर्ष 2013–14 में उपलब्ध आवंटन –रू० 751.50 लाख अगस्त 2013 तक व्यय– रू० 547.10 लाख	कितना काम होगा, इसका yardstick fix किया जाय। इसके लिये CDO से प्रस्ताव प्राप्त किया जाय। (iv) कोनार सिंचाई परियोजना में अतिरिक्त राशि की आवश्यकता होगी। अतिरिक्त बजट की व्यवस्था की जाय। **(कार्रवाई : अधीक्षण अभियंता, तेनुघाट बाँध अंचल, तेनुघाट / मुख्य अभियंता, मोनिटरिंग / संयुक्त सचिव(अभियंत्रण)**

6. तेनुघाट बाँध प्रमण्डल, तेनुघाट

(a) **गोवई बराज के पुनर्स्थापन कार्य** का प्राक्कलन एवं नक्शा में आवश्यक सुधार हेतु मुख्य अभियंता, हजारीबाग को निदेशित किया गया है।	<u>निदेश</u> :– (a) गोवई बराज योजना के पुनर्स्थापन कार्य हेतु DPR तैयार का वित्तीय बिड निर्धारित Agencies से प्राप्त किया जायेगा।
(b) **तेनुघाट आउटलेट के Emergency गेट के repair** हेतु तकनीकी बिड पर निर्णय हो चुका है एवं वित्तीय बिड खुल गया है।	(b) **तेनुघाट आउटलेट के Emergency गेट के repair** हेतु प्राप्त वित्तीय बिड एवं तुलनात्मक विवरणी एक सप्ताह के अन्दर विभाग को उपलब्ध कराया जाय।
(c) तेनुघाट निरीक्षण भवन एवं तेनुघाट विद्यालय को दुरूस्त करने का प्राक्कलन विभाग में समर्पित है।	(c) भवनों के मरम्मति कार्य मद में प्रशासनिक स्वीकृति एवं आवंटन उपलब्ध कराने का कार्रवाई की जाय। प्राक्कलनों की जांच सहायक अभियंता, श्री प्रियरंजन से करायी जाय।
(d) **तेनुघाट डैम एवं स्पिलवे में आवश्यक मरम्मति कार्य** का प्राक्कलन विभाग को प्राप्त हो गया है। (e) प्रमण्ड में Mechenical A.E./J.E. की आवश्यकता है।	(d) समर्पित प्राक्कलन के सापेक्ष प्रशासनिक स्वीकृति की कार्रवाई की जाय। डैम एवं स्पिलवे के सभी Component का कार्य Civil wing द्वारा ही कराया जाय। यांत्रिक कार्यों का प्राक्कलन 20 दिनों के अन्दर विभाग को भेजा जाय। (e) Mechenical A.E./J.E. को प्रमण्डल में पदस्थापित किया जाय। **(कार्रवाई :– मुख्य अभियंता, ज० सं० वि०, हजारीबाग / मुख्य अभियंता, मो० / संयुक्त सचिव, प्रबंधन)**
अन्य विन्दु– (i) नव नियुक्त कनीय अभियंताओं का प्रशिक्षण (ii) निरीक्षण वाहन –	(i) Site Visit कराया गया है और सभी कनीय अभियंताओं को Training दिया गया है। (ii) पुराने कंडम घोषित किये गये निरीक्षण वाहन के स्थान पर नये वाहन क्रय करने का प्रस्ताव एक सप्ताह में विभाग को भेजा जाय।

(iii) U CAN	(iii) केन्द्रीय अधीक्षण अभियंता 28.09.2013 तक सुनिश्चित करेंगे कि U CAN में सभी संवेदकों से संबंधित सूचनायें entry कर दी गया है तथा अधीक्षण अभियंता(मो०–1) उसके बाद इसे Verify करेंगे। किसी तरह की समस्या होने पर NIC में U CAN के प्रभारी से सम्पर्क करेंगे। (श्री प्रशांत कुमार – 7488337572)
(iv) संयुक्त सचिव, प्रबंधन के पत्रांक 4924 एवं पत्रांक 4750 का अनुपालन प्रतिवेदन।	(iv) अनुपालन प्रतिवेदन समर्पित कर दिया गया है और संयुक्त सचिव, प्रबंधन को बैठक में ही उपलब्ध करा दिया गया है।

बैठक में दिये गये निदेश का अनुपालन प्रतिवेदन Synopsis के रूप में पन्द्रह दिनों के अन्दर विभाग को उपलब्ध कराया जाय।

(बी०सी० निगम)
विशेष सचिव

ज्ञापांक : 2/PMC/hbg-baithak-93/2012- राँची, दिनांक :

प्रतिलिपि : मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग, हजारीबाग/मुख्य अभियंता यांत्रिक, जल संसाधन विभाग, राँची/संयुक्त सचिव (अभि॰)/संयुक्त सचिव (प्रबंधन), जल संसाधन विभाग, राँची/अधीक्षण अभियंता, जलपथ अंचल, हजारीबाग/अधीक्षण अभियंता, तेनुघाट बाँध अंचल, तेनुघाट/अधीक्षण अभियंता, योजना एंव मोनिटरिंग अंचल–1, 2 एवं 3 जल संसाधन विभाग राँची/विशेष भू–अर्जन पदाधिकारी, हजारीबाग को सूचनार्थ एवं अग्रेत्तर कार्रवाई हेतु प्रेषित। (email से)

(अशोक कुमार)
मुख्य अभियंता (मो०)

(iii) U CAN	(iii) क्षेत्रीय अधीक्षण अभियंता 28.09.2013 तक सुनिश्चित करेंगे कि U CAN में सभी संवेदकों से संबंधित सूचनायें entry कर दी गयी है तथा अधीक्षण अभियंता(मो०–1) उसके बाद इसे Verify करेंगे। किसी तरह की समस्या होने पर NIC में U CAN के प्रभारी से सम्पर्क करेंगे। (श्री प्रशांत कुमार – 7488337572)
(iv) संयुक्त सचिव, प्रबंधन के पत्रांक 4924 एवं पत्रांक 4750 का अनुपालन प्रतिवेदन।	(iv) अनुपालन प्रतिवेदन समर्पित कर दिया गया है और संयुक्त सचिव, प्रबंधन को बैठक में ही उपलब्ध करा दिया गया है।

बैठक में दिये गये निदेश का अनुपालन प्रतिवेदन Synopsis के रूप में पन्द्रह दिनों के अन्दर विभाग को उपलब्ध कराया जाय।

(बी०सी० निगम)
विशेष सचिव

ज्ञापांक : 2/PMC/hbg-baithak-93/2012- रॉंची, दिनांक :

प्रतिलिपि : मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग, हजारीबाग/मुख्य अभियंता यांत्रिक, जल संसाधन विभाग, रॉंची/संयुक्त सचिव (अभि॰)/संयुक्त सचिव (प्रबंधन), जल संसाधन विभाग, रॉंची/अधीक्षण अभियंता, जलपथ अंचल, हजारीबाग/अधीक्षण अभियंता, तेनुघाट बाँध अंचल, तेनुघाट/अधीक्षण अभियंता, योजना एवं मोनिटरिंग अंचल–1, 2 एवं 3 जल संसाधन विभाग रॉंची/विशेष भू–अर्जन पदाधिकारी, हजारीबाग को सूचनार्थ एवं अग्रेत्तर कार्रवाई हेतु प्रेषित। (email से)

(अशोक कुमार)
मुख्य अभियंता (मो0)

ज्ञापांक :– 2/PMC/baithak-93/2012- रॉंची, दिनांक :–

प्रतिलिपि :माननीय मंत्री, के आप्त सचिव, जल संसाधन विभाग/प्रधान सचिव, के सचिव/विशेष सचिव, के निजी सहायक/अभियंता प्रमुख–I, रॉंची के निजी सहायक, जल संसाधन विभाग को सूचनार्थ एवं अग्रेत्तर कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(अशोक कुमार)
मुख्य अभियंता (मो0)

ज्ञापांक :– 2/PMC/baithak-93/2012- 880 रॉंची, दिनांक :– 4.10.2013

प्रतिलिपि :वेब मैनेजर, वेबसाइट, जल संसाधन विभाग, रॉंची को सूचनार्थ एवं विभागीय वेबसाइट पर Up load करने हेतु प्रेषित।

30.9.2013
(अशोक कुमार)
मुख्य अभियंता (मो0)